उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 2005)

THE UTTAR PRADESH DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005

(U.P. Act No. 20 of 2005)

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ तथा ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 10 अगस्त, 2005 को अनुमति प्रदान की एवं उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में दिनांक 11 अगस्त, 2005 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य में आपदा के प्रभावी प्रबन्ध की व्यवस्था करने, आपदा के प्रभावों को कम करने, आपदाओं के घटित होने के दौरान तथा बाद में आपात राहत का प्रबन्ध करने, उसे सुसाध्य बनाने, उसका समन्वय करने और अनुश्रवण करने का प्रबन्ध और आपदाओं के परिणाम स्वरूप पुनर्निमाण और पुनर्वास के उपायों को लागू करने, उसका अनुश्रवण करने तथा समन्वय करने के लिए और इन प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए और अन्य अभिकरणों को विनिर्दिष्ट करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणतंत्र के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 कहा जायेगा। **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,— **परिभाषाएं**

(क) "प्रभावित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जो धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस रूप में घोषित हों ;

(ख) "प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से है ;

(ग) "क्षमता निर्माण" का तात्पर्य किसी आपदा से निपटने की क्षमता निर्मित करने से है और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :——

(एक) किसी आपदा से सुसंगत विद्यमान संसाधनों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अर्जित किये जाने वाले संसाधनों की पहचान ;

(दो) संसाधनों का अर्जन एवं सृजन, स्थानीय समुदाय में जनसमूह का संगठन एवं प्रशिक्षण ;

(तीन) ऐसे प्रशिक्षण का समन्वय ;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है ;

(ङ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है ;

(च) "आयुक्त" का तात्पर्य धारा 11 के अधीन नियुक्त राज्य राहत आयुक्त से है ;

---

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

(छ) "आपदा" का तात्पर्य राज्य के किसी भाग में प्राकृतिक या अन्यथा घटित होने वाली ऐसी वास्तविक या आसन्न घटना, संकट, आपदा, घोर विपत्ति, अनर्थ, दुर्भाग्य, अभाग्य या विनाश से है जिससे निम्नलिखित कारित होता हो या कारित होने की आशंका होः—

(एक) "स्थावर और जंगम दोनों सम्पत्ति की व्यापक क्षति या नुकसान ; या

(दो) मानव जीवन की व्यापक हानि या मानवों की क्षति या बीमारी ; या

(तीन) पर्यावरण की क्षति या उसका ह्रास और उपखण्ड (एक) से (तीन) में विनिर्दिष्ट कोई प्रभाव ऐसा हो, जो अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुए सामना करना प्रभावित जनसमुदाय की क्षमता से परे हो और जनसमुदाय की सामान्य कार्यप्रणाली को विच्छिन्न करता हो ;

(ज) "आपदा प्रबन्ध" का तात्पर्य निम्नलिखित दृष्टि से नियोजन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया तथा उसके उपायों के क्रियान्वयन से है :—

(एक) आपदाओं के जोखिम में न्यूनीकरण या कमी करना ;

(दो) आपदाओं की कठोरता या परिणाम में कमी करना ;

(तीन) क्षमता निर्माण ;

(चार) आपात तैयारी ;

(पांच) आपदाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करना ;

(छः) आपात राहत और बचाव उपलब्ध कराना ; और

(सात) आपदा के बाद पुनर्वास का पुनर्निर्माण :

(झ) "आपात तैयारी" का तात्पर्य तैयारी की उस स्थिति से है, जो आसन्न या वास्तविक आपदा के प्रभावों से निपटने हेतु राहत को गतिशील करने, संचालित करने और उपबंधित करने के लिए स्टेकहोल्डरों को समर्थ बनाती है ;

(ञ) "सदस्य" का तात्पर्य प्राधिकरण के किसी सदस्य से है ;

(ट) "शमन" का तात्पर्य किसी आपदा के समाघात या प्रभावों को कम करने के लिए लक्षित उपायों से है ;

(ठ) "निवारण" का तात्पर्य उन उपायों से है, जिनका लक्ष्य किसी आपदा के घटित होने को रोकने से है ;

(ड) "पुनर्निर्माण" का तात्पर्य किसी आपदा के पश्चात जिम्मेदारी में ली गयी किसी सम्पत्ति के मरम्मत और निर्माण से है ;

(ढ) "विनियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;

(ण) "पुनर्वास" का तात्पर्य ऐसी किसी क्रियाकलाप से है जिसका उद्देश्य किसी आपदा के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों में प्रसामान्यता बहाल करना है ;

(त) "राहत" का तात्पर्य आपदा के कारण हुई किसी यातना, पीड़ा, क्षति या आपत्ति या कठिनाई को कम करने या उनका निराकरण करने के लिए आपदा के दौरान या उसके तत्काल पश्चात किये गये उपायों से है ;

(थ) "स्टेकहोल्डर" के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं :——

(एक) राज्य सरकार ;

(दो) कोई कानूनी कृत्यकारी ;

(तीन) स्वैच्छिक अभिकरण जिसमें विदेशी स्वैच्छिक अभिकरण सम्मिलित हैं ; और

(चार) ऐसे प्राधिकरण द्वारा परिलक्षित कोई अन्य व्यक्ति जो आपदा प्रबन्ध से संबंधित क्रियाकलापों में किसी रीति से सहभागिता करता हों ।

अध्याय–दो

आपदा प्रबन्ध के लिए प्राधिकरण

आपदा प्रबन्ध के लिए प्राधिकरण

3–इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात :––

(क) राज्य सरकार ;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण ;

(ग) सरकारी विभागों के प्रमुख ;

(घ) आयुक्त ;

(ङ) किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट ;

(च) स्थानीय प्राधिकारी ;

(छ) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण, संघठन या निकाय।

अध्याय–तीन

राज्य सरकार के कृत्य

राज्य सरकार के कृत्य

4–(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि धारा 3 में विनिर्दिष्ट समस्त प्राधिकारी और स्टेकहोल्डर ऐसे समस्त उपाय करेंगे, जो किसी आपदा का प्रबन्ध करने और उसके प्रभावों को कम करने के प्रयोजन से आवश्यक और समीचीन हों ।

(2) विशेषरूप से और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हो सकते है, अर्थात :––

(क) यह सुनिश्चित करना कि समुचित नीतियां और मार्गदर्शन विकसित की गयी है ;

(ख) संकट प्रबंध समूह नामक कोई समूह और ऐसी अन्य इकाइयां जो आवश्यक हों स्थापित करना और ऐसा समूह या इकाई ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हों ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि राज्य प्रशासन और स्थानीय प्राधिकारी अपने क्रियाकलापों के नियोजन के दौरान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन पर विचार करेंगे ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि व्यापक संचार और प्रौद्योगिकी प्रणाली स्थापित है और अनुरक्षित है ;

(ङ) आपदा प्रबन्ध के संबंध में आपदा सामग्री, उपस्कर और सेवा प्रबन्ध और संबंधित प्रापण को सुसाध्य बनाना और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना ;

(च) यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार की जाती है और आपदा प्रबन्ध प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(छ) पर्याप्त जोखिम अन्तरण, जोखिम अंश और लागत अंश के क्रियाविधियों को प्रोत्साहित करना ;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबन्ध के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध है ;

(झ) समुचित प्रत्युद्धरण के उपायों को सुनिश्चित करना ; और

(ञ) ऐसे उपाय करना और ऐसे दिशा निर्देश जारी करना जो आपदा वृद्धि को रोकने के लिए या नियंत्रित करने या उनमें कमी करने के लिए आवश्यक हों।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निष्पादन करके किसी आपदा से उद्‌भूत होने वाली किसी आसन्न क्षति को रोकने या इसके प्रभावों को कम करने के प्रयोजन से किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को लिखित निर्देश जारी कर सकती है और ऐसा व्यक्ति या प्राधिकरण ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निष्पादन करके किसी कार्यकलाप आदेश के प्रवर्तन को निलम्बित कर सकती है यदि ऐसे आदेश से आपदा का सामना करने में कोई आवश्यक कार्यवाही अवरूद्ध होती हों या उसमें व्यवधान पड़ता हो या विलम्ब होता हो ।

अध्याय–चार

राज्य सरकार के विभागों के कृत्य

5–(1) राज्य के सरकारी विभाग —— राज्य सरकार के विभागों के कृत्य

(क) संचार केन्द्र स्थापित करने, आकस्मिक योजना बनाने, क्षमता निर्माण, आंकड़ा संग्रह, कार्मिक की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने में प्राधिकरण, आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय प्राधिकारी को सहायता उपलब्ध करायेंगे ;

(ख) आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में राहत कार्य सम्पादित करेंगे;

(ग) क्षति का मूल्यांकन करेंगे और प्राधिकरण द्वारा बनाये गये दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निमाण और पुनर्वास क्रियाकलापों को सम्पादित करेंगे ; और

(घ) ऐसे उपाय करेंगे और प्राधिकरण, आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी सहायता की व्यवस्था करेंगे जो आपदा प्रबन्ध के लिए आवश्यक हों ।

(2) प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन सरकार का प्रत्येक विभाग –

(क) निम्नलिखित को उल्लिखित करते हुए आपदा प्रबन्ध योजना तैयार करेगा:–

(एक) रीति, जिसमें आपदा प्रबन्ध की अवधारणा और उसके सिद्धान्त लागू होंगे ;

(दो) राज्य आपदा प्रबन्ध के संबंध में भूमिका एवं उत्तरदायित्व ;

(तीन) आपात राहत और आपदा के पश्चात प्रत्युद्धरण और पुनर्वास के संबंध में विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व ;

(चार) विभागों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने की क्षमता ;

(पांच) आपदा प्रबन्ध से संबंधित युक्तियों की विशिष्टियां ; और

(छः) आपदा की स्थिति में युक्तियों को वित्त पोषित करने के उपायों सहित युक्तियों और प्रक्रियाएं ;

(ख) अन्य विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, समुदायों और स्टेकहोल्डरों के साथ योजना की तैयारी और उसके क्रियान्वयन में समन्वय करना ;

(ग) योजना का नियमित पुनरीक्षण करना और उसे अद्यतन करना ; तथा

(घ) प्राधिकरण को आपदा प्रबन्ध योजना तथा उससे संबंधित कोई संशोधन प्रस्तुत करना ।

अध्याय– पांच

प्राधिकरण की स्थापना एवं उसका निगमन

प्राधिकरण की स्थापना एवं उसका निगमन

6–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना, ऐसे दिनांक से करेगीं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रदेश में या प्रदेश के बाहर ऐसे अन्य स्थानों पर कार्यालयों की स्थापना कर सकता है जैसा प्राधिकरण उचित समझता है ।

प्राधिकरण का गठन

7–(1) प्राधिकरण में अध्यक्ष व चौदह से अनधिक अन्य सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जो अध्यक्ष होंगे ;

(ख) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट दो मंत्री ;

(ग) प्रदेश के मुख्य सचिव ;

(घ) प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त ;

(ङ) प्रमुख सचिव (राजस्व) ;

(च) प्रमुख सचिव (वित्त) ;

(छ) प्रमुख सचिव (गृह) ;

(ज) प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ;

(झ) प्रमुख सचिव (नगर विकास) ;

(ञ) प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) ;

(ट) अन्य कोई सचिव जिसे समय–समय पर आमेंलित किया जाये ;

(ठ) महानिदेशक, पुलिस ;

(ड) राहत आयुक्त, जो प्राधिकरण का संयोजक/सचिव होगा :

परन्तु जब संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन की गयी कोई उद्घोषणा राज्य में प्रवृत्त हो, तो केन्द्र सरकार मुख्यमंत्री और मंत्रियों के स्थान पर तीन व्यक्तियों को प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा के प्रतिसंहरण या उसके प्रवर्तन में न रहने पर अपने पद छोड़ देंगे।

(2) प्राधिकरण के सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जो विहित किया जाये।

प्राधिकरण की बैठकें

8–(1) प्राधिकरण ऐसे समय और स्थानो पर बैठक करेगी और उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी बैठकों में (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठको का कोरम भी है) कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रियां के ऐसे नियमों का पालन करेंगा जैसा विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जायें।

(2) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, यदि वह बैठक करने के नियत समय पर उपस्थित हो, और यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो वरिष्ठ मंत्री द्वारा की जायेगी या उसकी अनुपस्थिति में अन्य मंत्री द्वारा की जायेगी और मंत्रियों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी, जिसे बैठक द्वारा उस अवसर के लिए अध्यक्ष चुना जाये।

(3) प्राधिकरण की बैठक में सभी प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मतों की बहुमत द्वारा लिया जायेगा और मतों के बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

(4) (क) प्रत्येक सदस्य जो प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित किसी संविदा या व्यवस्था या प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध रखता हो, या हितबद्ध हो तो वह प्राधिकरण की बैठक के पूर्व या बैठक में अपने संबंध और इच्छा की प्रकृति को व्यक्त करेगा।

(ख) कोई भी सदस्य प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से की गयी या की जाने वाली किसी संविदा या व्यवस्था पर चर्चा या मतदान में भाग नहीं लेगा, यदि यह संविदा या व्यवस्था में किसी भी प्रकार से, चाहें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता हो या हितबद्ध हो :

परन्तु किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं समझा जायेगा यदि वह प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से ऐसी संविदा या व्यवस्था में संबंधित या हितबद्ध किसी कम्पनी की समादत साधारण अंशपूंजी की कुल दो प्रतिशत से कम का शेयरधारक हो ।

कार्यवाहियों को ठीक व विधिमान्य समझा जाना

9–प्राधिकरण का कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं मानी जायेगी :––

(क) उसमें किसी रिक्ति के होने अथवा उसके संविधान में किसी त्रुटि के होने के कारण, अथवा

(ख) उसकी प्रक्रिया में किसी अनियमित्ता के कारण जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नही डालती हो।

प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी

10–(1) राज्य सरकार किसी भी ऐसे अधिकारी को जो सरकार के सचिव से निम्न पंक्ति का न हो, प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी नियुक्त करेगी जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(2) प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा वेतन एवं भत्ता पाने का हकदार होगा और ऐसी सेवा शर्तों से शासित होगा जैसा विहित किया जाये।

(4) उपधारा (2) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे वेतन तथा भत्ते पाने के हकदार होंगे तथा वे सेवा की शर्तों के अधीन शासित होंगे जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जायें।

(5) प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेंगे जैसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा लिखित रूप में निर्गत अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा सौंपे जायें।

राज्य राहत आयुक्त

11–(1) राज्य सरकार किसी ऐसे अधिकारी को जो शासन के सचिव से निम्न पंक्ति का न हो, पूरे प्रदेश के लिए राज्य राहत आयुक्त नियुक्त कर सकती है ।

(2) राज्य राहत आयुक्त आपदा प्रबन्ध से सम्बन्धित ऐसे कार्यो का निष्पादन करेंगे जैसा इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित है ।

(3) आयुक्त ऐसा वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा और वह ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी विहित की जाये।

अध्याय– छः

प्राधिकरण के कृत्य

प्राधिकरण के कतिपय कृत्य

12–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों, के अध्याधीन रहते हुए, प्राधिकरण की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह आपदा प्रबंध की एक समाकलित एवं समन्वित व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत राज्य, स्थानीय प्राधिकरण, स्टेकहाल्डर तथा समुदाय द्वारा आपदा के निवारण एवं शमन की व्यवस्था भी है, को प्रोत्साहित करे।

(2) प्राधिकरण् –

(क) आपदा प्रबंध और आपदा के बाद पुनर्निमाण, पुनर्वास, मूल्यांकन व निर्धारण के लिए एक केन्द्रीय योजना, समन्वयन और अनुश्रवण इकाई के रूप में कार्य करेगा ;

(ख) आपातकालीन राहत से संबंधित नीति निर्माण में राज्य सरकार को सहायता करेगा, इस बात के होते हुए भी आपातकालीन राहत का क्रियान्वयन सरकार के राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों की जिम्मेदारी होगी ;

(ग) आपदा प्रबन्ध की प्रगति एवं समस्याओं से राज्य सरकार एवं सरकार के विभागों को सूचित करेगा ;

(घ) आपदा प्रबन्ध, आपातकालीन योजना एवं प्रतिक्रिया के संबंध में सामान्य शिक्षा एवं जागरूकता को विकसित करेगा ;

(ङ) और उससे आनुषंगिक विषयों का कार्य करेगा।

(3) प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार राज्य सरकार, मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी एवं राज्य के स्थानीय प्राधिकरण अपनी सहायता एवं सहयोग प्राधिकरण को अपने कार्यों के निष्पादन हेतु देंगे।

आंकड़ों का संग्रहण

13–(1) प्राधिकरण आपदा तथा आपदा प्रबन्ध के क्षेत्र से संबंधित आंकड़ें को एकत्रित करने व करवाने की उचित कार्यवाही करेगा, एवं इन आंकड़ों का विश्लेषण करेगा और उन घटनाओं के मुख्य प्रभावों के संबंध में शोध एवं अध्ययन करेगा जो किसी आपदा का रूप ले सकती है।

(2) प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति से उसे लिखित नोटिस देकर उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए उपयोगी कोई भी जानकारी नोटिस में वर्णित समय सीमा के भीतर देने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना का प्रयोग केवल इस अधिनियम के कार्यों के निष्पादन हेतु ही किया जाय अन्यथा नहीं ।

सूचना संग्रह

14–प्राधिकरण आपदा व आपदा प्रबन्ध से संबंधित समस्त जानकारियों के संग्रह का कार्य करेगा और वह ––

(क) एक संस्था की स्थापना करेगा ;

(ख) राज्य में संचार माध्यम की स्थापना व आपातकालीन संचार तथा पूर्व चेतावनी व्यवस्था स्थापित किया जाना सुनिश्चित करेगा ;

(ग) आपदा प्रबन्ध कार्यो के लिए आवश्यक सम्पूर्ण डाटाबेस सुनिश्चित करेगा ;

(घ) भारत तथा अन्य देशों की आपदा प्रबन्ध अभिकरणों, जिनके अन्तर्गत प्राधिकरण के कृत्यों के सदृश निष्पादन करने वाली संस्थाएं भी है के साथ संचार माध्यम की स्थापना सुनिश्चित करेगा ;

(ङ) सूचनाओं का आदान–प्रदान करेगा और आपदा प्रबन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवीणता प्राप्त करने के लिए पहुंच बनाए रखेगा ।

आपदा प्रबन्ध योजनाएं

15–(1) प्राधिकरण आपदा प्रबन्ध योजनाएं व रणनीतियां बनाने व उन्हें अद्यावधिक बनाये रखने हेतु दिशा–निर्देश विकसित करेगा और कराएगा और राज्य के ऐसे विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा व्यक्तियों को जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय योजनायें व रणनीति बनाने की तैयारी तथा समन्वय करने में सहयोग प्रदान करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन योजनाओं की तैयारी के समय योजना बनाने वाला प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् योजना में उचित उपबन्ध करेगा, अर्थात्:–

(क) विभिन्न प्रकार की आपदायें जो घटित हो सकती है और उनसे होने वाला प्रभाव ;

(ख) समुदाय व सम्पत्ति जो खतरे में हो ;

(ग) उचित बचाव व अल्पीकरण का प्राविधान ;

(घ) आपदाओं से निपटने की अक्षमता और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना ;

(ङ) आपदा के बचाव व उसके प्रभाव को कम करने की रणनीति तथा विकास योजनाओं, कार्यक्रम व राज्य में अन्य संबंधित क्रियाकलापों का समाकलन करना ;

(च) आपदा के प्रभाव की प्रकृति और आकार निर्धारित करने का प्राविधान ;

(छ) आपदा घटित होने पर आकस्मिक योजना जिसमें राहत, पुर्नवास व पुनर्निमाण की योजना सम्मिलित हो व निम्नलिखित का प्राविधान हों :——

(एक) विभिन्न स्टेकहोल्डरों की जिम्मेदारीयों का आवंटन तथा जिम्मेदारियों के निर्वहन में उन्हें समन्वय प्रदान करना,

(दो) आवश्यक वस्तुओं का उपाप्त करना व आवश्यक सेवायें प्रदान करना,

(तीन) अनुकूल संचार माध्यमों की स्थापना,

(चार) सूचनाओं का प्रसार तथा,

(पांच) अन्य मामले जो विनियमों में उपबंधित किए जाए,

(व) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अन्य मामले।

(3) प्राधिकरण राज्य के लिए महायोजना तैयार करेगा या करवायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।

जागरूकता और तैयारी

16–(1) प्राधिकरण निम्नलिखित द्वारा समुदाय एवं स्टेकहोल्डरों को जांगरूकता, तैयारी, प्रशिक्षण व आवश्यक सलाह द्वारा प्रोत्साहन देगा अथवा प्रोत्साहित करायेगा ताकि इनकी किसी भी आपदा से निपटने में क्षमता का विकास हों :–

(अ) इस निमित्त दिशा–निर्देश एवं संस्तुतियों का प्रकाशन ;

(ब) इलेक्ट्रानिक डाटाबेस तक पहुंच की सुविधा ;

(स) समुदाय एवं स्टेकहोल्डरों में आपदा प्रबन्ध, क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना ;

(द) आपदा संवेंदनशीलता को कम, करने हेतु कार्यप्रणाली के विकास में सहयोग प्रदान करना ;

(य) विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य संबंधित गतिविधियों के साथ जागरूकता एवं तैयारी की कार्यप्रणाली का समायोजन ; और

(र) किसी अन्य रीति में कार्य करना जो इस निमित्त उचित समझा जाय।

(2) प्राधिकरण ऐसी नीतियों का निर्धारण करेगी जो जोखिम हस्तान्तरण से संबंधित है, जिसमें आपदा तैयारी का बीमा भी सम्मिलित है, जो कि वह आवश्यक समझती है तथा इसे क्रियान्वित करेगी या करवायेगी।

समुचित प्राधिकरण को की जाने वाली संस्तुतियां

17–(1) प्राधिकरण नई योजनाएं तैयार करते समय, आपदा के प्रशासन हेतु विनिर्दिष्ट किये जाने वाले मामलों को विचारण में लेने के लिए समुचित प्राधिकारी को संस्तुति कर सकता है।

(2) प्राधिकरण इस विद्यमान कार्ययोजनाओं जो कि समुचित प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है, उनका निरीक्षण कर सकता है तथा इन कार्ययोजनाओं का विश्लेषण करने के उपरान्त इसमें समुचित बदलाव हेतु अपनी संस्तुति दे सकता है जिससे कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आपदा का प्रभाव कम किया जा सके।

(3) प्राधिकरण प्रदेश में किसी भी स्थानीय क्षेत्र में स्थित भवन या ढांचे के निर्माण की गुणवत्ता को निरीक्षण कर सकता है और जहां प्राधिकरण को यह लगता है कि इन भवनों और ढांचों की गुणवत्ता के कारण आपदा के उपरान्त जान और किसी सम्पत्ति की क्षति होगी, तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने की संस्तुति दे सकता है जो ऐसे परिणामों से बचाने के लिए विधि के अधीन आवश्यक हों।

राहत

18–(1) प्राधिकरण आपदा के संबंधित गतिविधियों की नीतियों के निर्धारण में राज्य सरकार को सहयोग करेगा।

(2) जहां प्राधिकरण का यह मत हो कि आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई राहत पर्याप्त नहीं है, तो प्राधिकरण सरकार को अपनी संस्तुति देगी कि इन मानकों को संशोधित करे जिनका अनुपालन आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा तथा जहां आवश्यक हो वहां पर राहत उपायों की संस्तुति करेगा।

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण

19–आपदा की घोषणा के समापन पर प्राधिकरण, जहां आवश्यक समझें वहां सरकार के विभागों द्वारा पुनर्वास व पुनर्निर्माण के कार्यो में सुविधा व समन्वय प्रदान करने के लिए एक अभिकरण की तरह कार्य करेगा।

अध्याय–सात

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां एवं कृत्य

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ एवं कृत्य

20–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों व कृत्यों का प्रयोग और निष्पादन करेगा, अर्थात् :–

(क) क्षमता विकास को सम्मिलित करते हुए आपदा के बचाव एवं प्रभावों को कम करने से संबंधित क्रियाकलापों का समन्वय व अनुश्रवण करना ;

(ख) पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण क्रियाकलापों का समन्वय तथा अनुश्रवण करना;

(ग) आपदा प्रबंध योजनाओं की तैयारी की प्रगति का अनुश्रवण तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वय करना ;

(घ) प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों की रिपोर्ट तैयार करना तथा प्राधिकरण के समक्ष नियतकालिक रूप से प्रस्तुत करना,

(ङ) प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन करना ;

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और कृत्यों का निर्वहन करना, जिनका प्रतिनिधायन प्राधिकरण द्वारा किया गया हों, तथा ;

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा कृत्यों का निर्वहन करना जो विनियमावली में विनिर्दिष्ट की जाय।

अध्याय–आठ

राज्य राहत आयुक्त की शक्तियां तथा कृत्य

21–(1) आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आयुक्त प्रभावित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट एवं स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारियों को अधिकारिता वाले प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन राहत उपलब्ध कराने हेतु आपदा प्रबन्ध योजना के अनुसरण में निर्देशित कर सकता है । आपातकालीन राहत

(2) निम्नलिखित प्रयोजन के लिए :––

(क) समुदाय का सहयोग देंने एवं संरक्षण प्रदान करने ;

(ख) समुदाय को राहत प्रदान करने ;

(ग) विघटन को रोकने एवं रोकथाम करने ; या

(घ) आपदा के विनाशकारी व अन्य प्रभावों से निपटारा के लिए आयुक्त ––

(एक) उपलब्ध संसाधनों को निर्गत करने या उपयोग करने हेतु व्यवस्था कर सकते है ;

(दो) प्रभावित क्षेत्र में या इसके बाहर यातायात के आवागमन को नियंत्रित या अवरूद्ध कर सकते है ;

(तीन) किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश या भ्रमण या बाहर जाने पर नियंत्रण या रोक लगा सकते है ;

(चार) मलवा हटवा सकते हैं;

(पांच) खोज एवं बचाव अभियान चला सकते है ;

(छः) लावारिश शवों के निस्तारण की व्यवस्था कर सकते हैं ;

(सात) रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते है ;

(आठ) भोजन, दवाइयां व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कर सकते है ;

(नौ) आपदा से संबंधी विशेषज्ञों एवं सलाहकारों की सेवायें ले सकते है तथा अपने निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में राहत उपलब्ध करा सकते है ;

(दस) आवश्यकतानुसार विशिष्ट एवं अधिमान साधन जैसे और जब भी आवश्यक हो, सुख सुविधाओं का अनन्य या अधिमानी उपयोग उपाप्त कर सकते है ;

(ग्यारह) ऐसे नियमों एवं शर्तों पर जिन्हें विहित किया जाय कोई भी सम्पत्ति, वाहन, उपकरण, भवन तथा संचार माध्यम का कब्जा ले सकते है और उपयोग कर सकते है;

(बारह) अस्थायी पुलों एवं अन्य आवश्यक ढांचों का निर्माण कर सकते हैं ;

(तेरह) ऐसे असुरक्षित निर्माणों को नष्ट कर सकते हैं, जो जनता के लिए खतरनाक हो सकते है ;

(चौदह) यह सुनिश्चित कर सकते है कि गैर सरकारी संगठन अपनी गतिविधियों का संचालन साम्यापूर्ण ढंग से करें ;

(पन्द्रह) आपदा से निपटने हेतु सूचनाओं को आम जनता तक प्रसारित कर सकते है ;

(सोलह) आपदा प्रभावित क्षेत्र से आबादी को जीवन रक्षा के प्रयोजन से खाली करा सकते है और यथा आवश्यक बल प्रयोग कर सकते है ;

(सत्रह) यदि वह समझते है कि जान और माल की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्यवाही आवश्यक है तो यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित है अथवा उपस्थित रहने पर ऐसे दरवाजा, द्वार या रोध को खोलने से इंकार करता है तो किसी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश करने या किसी दरवाजा, द्वार या रोध को खोलने या खुलवाने के लिए प्राधिकृत कर सकते है।

(3) आयुक्त किसी व्यक्ति या सरकारी अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है और ऐसे कदम उठा सकता है, जो आपदा के उतार–चढ़ाव को कम करने अथवा आपदा के प्रभावों को न्यून करने, रोकने और कम करने के लिए आवश्यक हों ।

(4) आयुक्त राहत उपलब्ध कराने के लिए किये गये अपने सामान्य कार्यवाहियों की जानकारी प्राधिकरण को देंगे और विशेषतः जो कार्यवाही उपधारा (1) से (3) के अधीन की गई हो।

आयुक्त के अन्य कृत्य

22–(1) आयुक्त, ––

(क) प्राधिकरण को आपदा प्रबन्ध से संबंधित विविध पक्षों की सूचनाएं देंगे, जैसे पूर्व चेतावनी और तैयारी की स्थिति ;

(ख) प्रत्येक जिलों की विशिष्ट परिस्थितियों एवं संस्थागत क्षमता में कमी और राज्य के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के परामर्श से राज्य के लिए उपयुक्त राहत क्रियान्वयन नीति विकसित करेंगे ;

(ग) राज्य स्तरीय आपातकालीन योजनाओं और दिशा–निर्देशों को तैयार करेंगे, समीक्षा करेंगे और अद्यावधिक रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला स्तरीय योजनाएं तैयार पुनरीक्षित और अद्यावधिक की गई है ;

(घ) आपदा प्रबन्ध से संबंधित आकस्मिक योजनाओं का समय–समय पर पुनर्निर्धारण करेंगे ;

(ङ) यह सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रबन्ध अभ्यास नियतकालिक रूप से किये जायं ;

(च) यह सुनिश्चित करेंगे कि संचार व्यवस्था सुचारू है, एवं आकस्मिक योजनाओं में स्थानीय संस्थाओं की अधिकतम भागीदारी है ;

(छ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिन्हें प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधानित किया जाय ;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिन्हें विनियमावली में विनिर्दिष्ट किया जाय ।

अध्याय–नौ

जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कृत्य

23–(1) आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट प्रभावित क्षेत्र के सरकारी विभागों एवं स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों को आपदा प्रबन्ध योजना के अनुसार आपातकालीन राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर सकता है ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट,––

(एक) उपलब्ध संसाधनों कों छोड़ने या उपयोग करने हेतु व्यवस्था कर सकेगा ;

(दो) आपदा प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत यातायात का आवागमन नियंत्रण या अवरूद्ध कर सकेगा ;

(तीन) किसी आपदा ग्रसित क्षेत्र या भाग में प्रवेश, भ्रमण या बाहर जाने पर नियंत्रण या रोक कर सकेगा ;

(चार) मलवा हटा सकेगा ;

(पांच) खोज एवं बचाव अभियान संचालित कर सकेगा ;

(छः) लावारिश शवों का उचित माध्यम द्वारा निस्तारण कर सकेगा ;

(सात) रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकेगा ;

(आठ) भोजन दवाइयां व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कर सकेगा ;

(नौ) आपदा संबंधी विशेषज्ञों एवं सलाहकारों से उनके निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में राहत प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(दस) कोई भी सम्पत्ति, गाड़ी, उपकरण, भवन तथा संचार माध्यम का अधिग्रहण व नियंत्रण में ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर कर सकेगा जैसा विहित किया जाय ;

(ग्यारह) आवश्यकतानुसार विशिष्ट एवं अधिमान साधन उपलब्ध करा सकेगा;

(बारह) अस्थायी पुलों एवं अन्य ढांचों का निर्माण करा सकेगा ;

(तेरह) असुरक्षित संरचनाओं को नष्ट करा सकेगा, जो जनता के लिए खतरनाक हो सकती है ;

(चौदह) अशासकीय संगठनों के साथ समन्वय कर सकेगा तथा यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ये इकाइयां अपनी गतिविधियों का निर्वाह सही ढंग से करती है ;

(पन्द्रह) आपदा से निपटने हेतु सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचा सकेगा;

(सोलह) आपदा प्रभावित क्षेत्र से पूर्ण या आंशिक आबादी को निर्देशित व बलपूर्वक जीवन रक्षा हेतु अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा व अगर आवश्यक हो तो बल प्रयोग कर सकेगा ;

(सत्रह) किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है कि वह किसी भी स्थान में जा सकता है अथवा कोई भी दरवाजा, गेट या अन्य वैरियर खोल सकता है या खुलवा सकता है या अगर उस स्थान का मालिक या रहने वाला उपस्थित नहीं है अथवा दरवाजा गेट या बैरियर खोलने से मना कर रहा है यदि वह यह समझता है यह जान व माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अन्तर्गत शक्तियों का उस सीमा तक प्रयोग कर सकता है जहां तक यह निम्नलिखित के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो :–

(क) समुदाय का सहयोग एवं रक्षा करना ;

(ख) समुदाय को राहत प्रदान करना ;

(ग) विघटन को रोकना एवं मुकाबला करना ;

(घ) आपदा के विनाशकारी व अन्य प्रभावों से निपटना।

24–(1) जिला मजिस्ट्रेट,––

(क) सुनिश्चित करेंगे कि आपदा से बचाव अथवा उसके प्रभावों में कमी लाना अथवा उसके प्रभावों से निपटने हेतु तैयारी, सभी किये गए ऐसा दिशा–निर्देशों के अनुसार हों, जैसा विहित किया जाए ;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट प्राधिकरण को आपदा प्रबन्ध संबंधी योगदान देंगे, जैसे कि पूर्व चेतावनी व तैयारी की स्थिति ;

(ग) सुनिश्चित करेंगे कि जिले के समस्त कर्मियों को आपदा से निपटने की विशेष जानकारी हासिल करें ;

(घ) सुनिश्चित करेंगे कि जिले की आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना तैयार की जाय, आवश्यकतानुसार संशोधित हों तथा समय–समय पर अद्यतन की जाय ;

(ङ) स्थानीय सरकारी निकायों को सहयोग एवं समन्वय प्रदान करेंगे ताकि जिले में आपदा से पूर्व व आपदा प्रबन्ध गतिविधियों का निर्वहन किया जा सके ;

(च) स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों व निजी क्षेत्र के सहयोग से समुदाय को प्रशिक्षित करना, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना व आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना करेंगे ;

(छ) आपदा प्रबन्ध के क्षेत्र में अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करेंगे ;

(ज) आपातकालीन योजनाओं, आकस्मिक योजनाओं व दिशा–निर्देशों का पुनरावलोकन करेंगे ;

(झ) सुनिश्चित करेंगे कि जिले में स्थित स्थानीय प्राधिकारी स्वयं अपने बचाव की रणनीति तैयार करें ;

(ञ) सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रबन्ध गतिविधियों तथा योजनाओं के बीच संबंध बने ;

(ट) सुनिश्चित करेंगे कि संचार व्यवस्था सुचारू रहे;

(ठ) सुनिश्चित करेंगे कि अग्निशमन उपकरण व आपदा प्रबन्ध से संबंधित अन्य उपकरण का रख–रखाव ऐसा हो कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके;

(ड) जिले में पुनर्वास व पुनर्निर्माण की गतिविधियों का समन्वय करेंगे।

(ढ) सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रबन्ध का नियतकालिक अभ्यास किया जाना है ;

(ण) पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के लिए प्रगति तथा उसके परिणामों के अनुश्रवण में प्राधिकरण की सहायता करेंगे ;

(त) ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो राज्य सरकार, प्राधिकरण व मण्डलायुक्त द्वारा प्रत्यायोजित किया गया हो ;

(थ) इसके अतिरिक्त उन सभी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यो का निष्पादन करेंगे जैसा कि विहित किया जाये।

अध्याय—दस

स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य

25–(1) आपदा प्रबन्ध के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी प्राधिकरण दें और जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन–

(क) प्राधिकरण, मण्डलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को सहायता करेगा;

(ख) सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारीवृन्द प्रशिक्षित हैं;

(ग) सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्ध से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार से अनुरक्षण किया जाय कि वे उपयोग के लिए तैयार हों;

(घ) सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय क्षेत्र में समस्त भवनों और अन्य संरचनाओं को सरकार के विभागों और प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त निर्धारित विनिर्देश के अनुसार पूरा किया जाना है;

(ङ) मण्डलायुक्त के निदेशों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य चलायेगा;

(च) प्राधिकरण द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार पुनर्निर्माण और पुनर्वास क्रियाकलापों को चलायेगा;

(छ) निम्नलिखित के लिये एक आपदा प्रबन्ध योजना तैयार करेगा, आर्थत्:–

(एक) स्थानीय क्षेत्र में लागू किये जाने वाले आपदा प्रबन्ध की संकल्पना और सिद्धांतों की रीति;

(दो) राज्य की आपदा प्रबन्ध योजना के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका और दायित्व;

(तीन) भूमिका और दायित्व को पूरा करने की स्थानीय प्राधिकारी की क्षमता;

(चार) आपदा प्रबन्ध रणनीति की विशिष्टियां;

(पांच) किसी आपदा की स्थिति में, आकस्मिक रणनीति और आपात प्रक्रियायें जिसके अन्तर्गत रणनीति को वित्तपोषित करना भी है;

(ज) राज्य के संगठनों और स्टेकहोल्डरों के साथ योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन का समन्वय करना;

(झ) योजना का नियमित पुनरावलोकन और उसको अद्यतन करना;

(ञ) आपदा प्रबन्ध को समय–समय पर संचालित करना; और

(ट) प्राधिकरण, मण्डलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी सहायता उपलब्ध कराना और ऐसे अन्य कदम उठाना जो आपदा प्रबन्ध के लिए आवश्यक हों।

(2) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी , प्राधिकरण और मण्डलायुक्त को उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित अपने आपदा प्रबन्ध योजना और उसमें किये गये संशोधन की प्रति प्रस्तुत करेगा।

26–(1) जिले में सरकार के प्रत्येक विभाग जिले के लिए एक आपदा प्रबन्ध योजना तैयार करेगा और जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी योजना सम्पूर्ण जिले के लिये आपदा प्रबन्ध योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

(2) सरकार के विभाग, उपधारा (1) के अधीन योजना तैयार करते समय,–

(क) आपदा जो जिले में घटित हो सकती है, के प्रकारों और उसके संभावित प्रभावों का पूर्वानुमान करेगा;

(ख) खतरे में आने वाले समुदायों और सम्पत्तियों को चिन्हित करेगा;

(ग) समुचित रोकथाम और कमी करने के लिए रणनीति व्यवस्था करेगा;

(घ) सम्भावित आपदाओं से निपटने की अक्षमता की पहचान करना और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करेगा;

(ङ) अधिकतम आपात तैयारी को बनायेगा, और

(च) किसी आपदा के घटित होने पर आकस्मिक योजनाओं और विहित आपात प्रक्रियाओं को, जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था हो, रखेगा–

(एक) विभिन्न स्टेकहोल्डरों के दायित्यों का आवंटन करना और उनके दायित्वों के निर्वहन का समन्वय करना;

(दो) आपदा प्रतिक्रियाओं और राहत में तत्परता;

(तीन) आवश्यक वस्तुओं का प्रापण और आवश्यक सेवायें प्रदान करना;

(चार) युक्तिपूर्ण संचार व्यवस्था को स्थापित करना;

(पांच) सूचनाओं का प्रसार करना; और

(छः) ऐसे अन्य मामले, जैसा विनियमों में उपबन्धित हों, और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित हों;

(3) जिले में सरकार का कोई भी विभाग, जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में,–

(क) एक आपदा प्रबन्ध योजना तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :–

(एक) ऐसी रीति जिससे आपदा प्रबन्ध की संकल्पना और सिद्धांतों जिसे जिले में लागू किया जायेगा;

(दो) राज्य के प्रबन्ध योजना की शर्तों के अनुसार सरकारी विभाग की भूमिका और उसके दायित्व;

(तीन) आपात राहत और आपदा के पश्चात पुनरूत्थान और पुनर्वास के संबंध में सरकारी विभाग की भूमिका और उसके दायित्व;

(चार) सरकारी विभाग की, अपने भूमिकाओं और दायित्वों को पूरा करने की क्षमता;

(पांच) आपदा प्रबन्ध की रणनीतियों का विवरण; और

(छः) आपदा के घटित होने के दशा में आकस्मिक युक्तियां और आपात प्रक्रियाएं जिसके अन्तर्गत युक्ति को वित्त पोषित करने के उपाय भी हैं;

(ख) राज्य के अन्य संगठनों, समुदायों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ अपनी योजना की तैयारी, कार्यान्वयन का समन्वयन करना;

(ग) योजना का नियमित पुनरावलोकन और अद्यतन करना;

(घ) अपने आपदा प्रबन्ध योजना और उसमें किसी संशोधन की प्रति उप मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करना;

(4) जिला मजिस्ट्रेट, जिले की आपदा प्रबन्ध योजना और उसमें किसी संशोधन की प्रति प्राधिकरण और मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेगा।

(5) सरकार का प्रत्येक विभाग, इस निमित्त तैयार की गयी अपनी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

अध्याय–ग्यारह

पुलिस बल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा व अग्निशमन सेवाओं के कर्तव्य

27–(1) जहाँ धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन कोई क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है वहाँ,–

(क) पुलिस बल के सदस्य;

(ख) होमगार्ड के सदस्य;

(ग) नागरिक सुरक्षा के सदस्य; और

(घ) अग्निशमन सेवाओं के सदस्य;

मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:–

(एक) चेतावनी देना;

(दो) तलाशी एवं बचाव अभियान चलाना; तथा

(तीन) राहत एवं पुनर्वास अभियान चलाना।

(2) यदि किसी क्षेत्र में आपदा घटित होती है तो ऐसे क्षेत्र के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट संगठनों के सदस्य, स्थानीय प्राधिकारी और सरकारी विभागों में से वरिष्ठतम अधिकारी जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार आपातकालीन राहत उपलब्ध करायेंगे।

(3) राज्य में सरकार के विभाग आपदा प्रबन्ध योजना में विनिर्दिष्ट कृत्यों को जिलाधिकारी के निर्देशन में करेंगे तथा विशेष रूप से–

(क) सुनिश्चित करेंगे कि संचार व्यवस्था सुचारू रहे जिसे किसी आपदा से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान–प्रदान में उपयोग किये जाने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा;

(ख) स्थानीय कार्मिकों को चिन्हित करेंगे तथा आपदा प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध करायेंगे जिससे ऐसे कार्मिकों की सेवायें समय पर उपलब्ध रहे;

(ग) आपदा प्रबन्ध ड्रिल का समय–समय पर करायेंगे; तथा

(घ) प्राधिकरण, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी की सहायता करेंगे तथा आपदा प्रबन्ध के लिए यथा आवश्यक कदम उठायेंगे।

अध्याय–बारह

समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्यमों और अन्य अभिकरणों या व्यक्तियों के कर्तव्य

28–प्रत्येक समुदाय समूह व प्रत्येक युवा संगठन यथा राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना व नेहरू युवा केन्द्र निम्नलिखित कार्य कर सकते है :––

(क) सभी आपदा प्रबन्ध गतिविधियों में राज्य सरकार, मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी को सहयोग प्रदान करना ;

(ख) क्षमता निर्माण, संवेदनशीलता कम करने के कार्यक्रम व प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेगा ;

(ग) मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में राहत कार्यों में सहायता करना ;

(घ) क्षति के विस्तृत मूल्यांकन में सहायता करना व प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निर्माण व पुनर्वास के क्रियाकलापों को चलाना ; तथा

(ङ) प्राधिकरण, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी की सहायता करना तथा आपदा प्रबन्ध के लिए यथा आवश्यक कदम उठाना।

29–(1) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन परिभाषित प्रत्येक कारखानाः–

(क) राज्य सरकार, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को सभी आपदा प्रबन्ध सम्बन्धी क्रियाकलापों में सहयोग प्रदान करेंगे;

(ख) सुनिश्चित करेंगे कि उनके कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं;

(ग) सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक संसाधन उपयोग हेतु हैं;

(घ) सुनिश्चित करेंगे कि इसके भवन और अन्य निर्माण सरकार के विभागों व प्राधिकरण द्वारा अनुबद्ध विनिर्दिष्ट के अनुसार हैं;

(ङ) मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में राहत कार्यों का संचालन करेंगे;

(च) क्षति के मूल्यांकन में सहयोग देंगे और प्राधिकरण, द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पुन निर्माण व पुनर्वास क्रियाकलापों को चलोयेंगे;

(छ) आपदा प्रबन्ध योजना को स्थानीय प्राधिकारी व राज्य सरकार के अन्य आपदा प्रबन्ध योजनाओं के अनुरूप प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार करेंगे;

(ज) अन्य सभी कदम उठायेंगे और प्राधिकरण, मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी को सहायता करेंगे तथा अन्य ऐसे कदम उठायेंगे जो आपदा प्रबन्ध के लिए आवश्यक है;

(2) प्रत्येक कारखाना अपने द्वारा इस निमित्त बनायी गयी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) प्रत्येक निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां प्राधिकरण, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को सहायता प्रदान करेंगी तथा ऐसे अन्य कदम उठायेंगी जो आपदा प्रबन्ध के लिए आवश्यक हों।

30–समस्त स्वैछिक अभिकरण जिसमें स्वयंसेवी संगठन सम्मिलित हैं, जो आपदा प्रबन्ध गतिविधियों में भाग लेने की इच्छुक हैं, वे :–

(क) क्षमता निर्माण, संवेदनशीलता कम करने के कार्यक्रम व प्रशिक्षण क्रियाकलापों में भाग ले सकती हैं;

(ख) सरकार, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में राहत कार्यों में सहायता प्रदान कर सकती है;

(ग) क्षति के मूल्यांकन में और प्राधिकरण द्वारा विरचित्र दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निर्माण व पूनर्वास क्रियाकलापों में भाग ले सकती है; तथा

(घ) प्रभावी आपदा प्रबन्ध के लिए यथा आवश्यक प्राधिकरण, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को सहायता कर सकती है।

31–प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी या ऐसे अन्य कोई व्यक्ति जिसे आपदा प्रबन्ध की जिम्मेदारी दी गई हो अथवा उसमें लगाया गया हो, जब कभी भी, सामान्यतया आपदा प्रबन्ध के प्रयोजन से और विशेष रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों से उसकी सहायता की आवश्यकता पड़े, सहायता करे ––

(क) निवारण;

(ख) प्रतिक्रिया;

(ग) चेतावनी;

(घ) आपातकालीन अभियान; तथा

(ङ) प्रत्युद्धरण।

अध्याय–तेरह

किसी क्षेत्र को आपदा उन्मुख क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करना

32–(1) जहां कहीं भी आपदा के घटित होने की आशंका हो या आपदा घटित हुई हो;–

(क) यदि एक से अधिक जिले के क्षेत्र में हो तो मण्डलायुक्त ; और

(ख) यदि एक जिले तक समिति क्षेत्र में हो तो जिलाधिकारी ;

तुरन्त इस आशय की एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

(2) (क) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन मण्डलायुक्त अथवा जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह विचार रखती है कि राज्य के किसी क्षेत्र में आपदा घटित होने का खतरा है अथवा आपदा घटित हो गयी है और ऐसी आपदा के

निवारण के लिए अथवा उसके प्रभाव से निपटने के प्रयोजनार्थ ऐसा करना समीचीन है तो वह गजट में और किसी एक या अधिक ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जिसका उस क्षेत्र का व्यापक प्रसार हो, उस क्षेत्र को आपदा उन्मुख क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी जिस इस धारा में "प्रभावित क्षेत्र" निर्दिष्ट किया गया है;

(ख) राज्य सरकार खण्ड (क) के अधीन घोषणा न करने का विनिश्चय करती है वह यह आयुक्त अथवा जिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को तद्नुसार सूचित करेगी।

(3) किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि विनिर्दिष्ट की जायेगी तथा इस अवधि में इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र माना जायेगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसी अवधि को समय–समय पर किसी एक समय में पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकती है यदि राज्य सरकार की, यथास्थिति, मण्डलायुक्त या जिलाधिकारी द्वारा इस निमित्त की गयी रिपोर्ट के आधार पर यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है।

(4) ऐसी अवधि के दौरान जब कोई क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र हो–

(क) प्राधिकरण ऐसे क्षेत्र में निम्नलिखित से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगा या करवायेगाः–

(एक) आपदा का निवारण ;

(दो) (क) आपदा के प्रभावों को कम करना;

(ख) आपातकालीन राहत का सुगमीकरण, समन्वय एवं अनुश्रवण;

(ग) पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास का अनुश्रवण एवं समन्वय करना, और ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन विहित हों या उपर्युक्त कृत्यों के अनुपूरक आनुषंगी या परिणामी हों।

(ख) जहाँ प्रभावित क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हो तो आयुक्त और जहाँ प्रभावित क्षेत्र जिले तक सीमित हो तो जिलाधिकारी आपदा प्रबन्ध से संबंधित ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उस पर आरोपित हैं।

(5) (क) जहाँ आयुक्त अथवा जिलाधिकारी उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट करता है जहाँ वह रिपोर्ट करने के समय से इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन आवश्यक कृत्यों का निष्पादन प्रारम्भ करेगा तथा

(ख) वह खण्ड (क) में निर्दिष्ट कृत्यों का निष्पादन नहीं करेगा–

(1) जहाँ कोई क्षेत्र उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ है तो ऐसी अवधि के अवसान पर; या

(2) जहां उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन समय–समय पर ऐसी अवधि बढ़ायी गयी हो तो अंतिम बार बढ़ाई गयी अवधि के बीत जाने पर; या

(3) जहां कोई क्षेत्र इस प्रकार घोषित नहीं किया गया हो वहां उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने पर।

(6) प्राधिकारी, आयुक्त तथा सभी अन्य प्रभावित क्षेत्र में उपधारा (5) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) अथवा (2) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान पर इन कार्यों का निष्पादन नहीं करेगा।

अध्याय–चौदह

वित्त, लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

33–(1) प्राधिकरण की स्वयं की एक निधि होगी जो आपदा प्रबन्ध निधि कहलायेगी और उसमें प्राधिकरण द्वारा समस्त प्राप्तियां जमा की जायेंगी और उससे प्राधिकरण द्वारा समस्त भुगतान किये जायेंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा निकाय से अनुदान, आर्थिक सहायता, दान और उपहार ले सकता है।

(3) निधि से धन का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान हेतु किया जा सकता हैः–

(एक) इस अधिनियम के अधीन कार्यों के सम्पादन में प्राधिकरण द्वारा उपगन व्यय;

(दो) सदस्यों को पारिश्रमिक;

(तीन) प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्ते;

(चार) अधिनियम के ऐसे अन्य प्रयोजनों हेतु व्यय जो विहित किये जायं।

(4) (क) प्राधिकरण की निधि की समस्त धनराशि को ऐसे बैंक में जमा किया जायेगा जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे;

(ख) जहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस धनराशि को उपयोग तत्काल या आने वाले शीघ्र समय में नहीं होना है वहां उसका निवेश भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 20 के खण्ड (क) (ख) (खख), (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में किया जा सकता है;

(ग) कोई भी ब्याज जो कि ऐसे जमा या निवेश से अर्जित किया गया हो, निधि में जमा किया जायेगा।

34–राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को निष्पादित करने हेतु खुले बाजार से या अन्यथा से उधार ले सकता है।

35–(1) (क) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के किसी भी ऐसे दिनांक को उसे विहित किया जाए, अगले वित्तीय वर्ष हेतु विहित प्रपत्र में राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए बजट प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस वित्तीय वर्ष में अनुमानित प्राप्ति व व्यय तथा राज्य सरकार से अपेक्षित धनराशि का विवरण होगा।

(ख) यदि राज्य सरकार द्वारा दी गयी धनराशि का आंशिक या पूर्ण रूप से व्यय नहीं हुआ है तो उसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रनीत किया जायेगा व उस वर्ष की राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि में समायोजित कर दिया जायेगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा या उसकी तरफ से कोई भी धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा जिसका कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट में प्रावधान न हो।

36–(1) प्राधिकरण का लेखा ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से बनाये व रखे जायेंगे जैसा विहित किया जाये।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करायेगी जैसा विहित किया जाये।

(3) प्राधिकरण के लेखा की लेखा परीक्षा एक योग्य लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अन्तर्गत लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आई हो ।

(4) उक्त लेखा परीक्षक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(5) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किये गये प्रत्येक लेखा परीक्षक का यह अधिकार होगा कि वह लेखा पुस्तकों, इससे सम्बन्धित वाउचरों व अन्य दस्तावेजों, और पत्रों की मांग कर सके, प्राधिकरण के कार्यालयों का निरीक्षण कर सके और प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांग सकता है जो वह लेखा परीक्षक के कर्तव्य के सम्पादन में आवश्यक समझते हों।

(6) लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट को यथाशीघ्र लेखा के लेखा परीक्षित प्रति के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करेगा, जो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(7) राज्य सरकार उपधारा (6) के अधीन प्राप्त की गयी लेखा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा।

37–(1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्रारूप में और वर्ष के ऐसे समय पर जैसा कि विहित किया जाय :––

(क) विगत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करायेगा जिसमें उस वर्ष की समस्त गतिविधियों का पूर्ण, सत्य व उचित लेखा विवरण होगा ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा अगले वर्ष किये जाने वाले कार्यों का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, और ऐसे रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट को शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखेगी।

(3) इसके अतिरिक्त प्राधिकरण का लेखा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षा के अध्यधीन होगा।

अध्याय–पन्द्रह

अपराध एवं शास्तियां

38–(1) जो कोई भी :––

(क) बिना किसी युक्तियुक्त कारण के इस अधिनियम के अधीन कार्यों के सम्पादन में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकरण या आयुक्त या जिलाधिकारी के किसी अधिकारी को कार्य करने से रोकता है अथवा बाधा डालता है ; या

(ख) बिना किसी युक्तियुक्त कारण के इस अधिनियम के अधीन कार्यो के सम्पादन में किसी भी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकरण या आयुक्त या जिलाधिकारी के किसी अधिकारी के निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है ; या

(ग) बिना किसी ठोस वैज्ञानिक आधार के किसी आपदा के घटित होने की पूर्वानुमान की झूठी खबर फैलाता है जिसके कारण समुदाय में दहशत पैदा हो ; या

(घ) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के या प्राधिकरण या आयुक्त या जिलाधिकारी के किसी अधिकारी से पुर्ननिर्माण या मरम्मत के लिए सहायता के रूप में झूठा दावा करता है, वह दोषी पाये जाने पर उसे कारावास से जो, छः माह की अवधि तक हो सकता है या जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

39–(1) कोई भी मजिस्ट्रेट धारा 38 के अन्तर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय जब सामान्यतः या विशिष्टतः प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा आयुक्त अथवा जिलाधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत की गई हो ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अपराध के सम्बन्ध में जब लिखित शिकायत पेश की जाती है तो प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी, आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट का परीक्षण किया जाना आवश्यक नही होगा ।

40–(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय प्रभारी या उनकी जिम्मेदारी, कम्पनी के कार्यों के सम्पादन हेतु तथा कम्पनी भी इस उल्लंघन के दोषी करार दिये जायेंगे तथा उनके विरूद्व कार्यवाही की जायेगी व दण्डित किये जायेंगे :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को इस उपधारा के अन्तर्गत दण्डित नहीं किया जायेगा यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि यह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है अथवा उसने इस अपराध के रोकने हेतु भरसक प्रयास किये थे।

(2) इस अधिनियम की उपधारा (1) के अधीन कम्पनी द्वारा किये गये किसी भी अपराध में यह सिद्ध होता है कि यह अपराध कम्पनी के निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा किसी अधिकारी, की सहमति या मौनानुमति से किया गया है तो उनकी उपेक्षा के

फलस्वरूप हुआ है, तो कम्पनी के निदेशक, प्रबन्ध, सचिव अथवा अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी व दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन परिभाषित कोई कम्पनी या, फर्म या व्यक्तियों का समूह भी है; और

(ख) "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के सम्बन्ध में फर्म के साझेदार से है।

अध्याय–सोलह

विविध

41–(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशिष्ट रूप से प्राधिकृत मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त या जिलाधिकारी सभी युक्तियुक्त समय में किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकते हैं व ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि इस अधिनियम के अधीन उन पर आरोपित कृत्यों के विधिसम्मत निष्पादन हेतु समुचित रूप से आवश्यक हों।

(2) इस निमित्त सामान्य या विशेष रूप में प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी, उचित समय में किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकते हैं जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उन पर आरोपित कार्यों के वैधानिक सम्पादन हेतु अनिवार्य हो।

42–(1) प्राधिकरण सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या अन्य किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन ऐसे कार्यों के सम्पादन हेतु उन्हें अधिकृत कर सकता है जैसा कि इस आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(2) प्राधिकरण सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा अपने सदस्यों की एक या अधिक समितियों को गठित कर सकता है तथा इन समितियों को प्राधिकरण के ऐसे कार्यो के सम्पादन हेतु अधिकृत कर सकता है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(3) आयुक्त लिखित आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसे आरोपित ऐसे कृत्यों के सम्पादन हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है, जैसा आदेश में वर्णित हो ।

(4) जिलाधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी भी अधिकारी, जिसका स्तर अपर जिलाधिकारी से कम न हो, को इस अधिनियम के अधीन उसे आरोपित ऐसे कृत्यों के सम्पादन हेतु अधिकृत कर सकता है जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(5) उपधारा (1), (3) व (4) के अन्तर्गत आदेश में ऐसी शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है जिसके अध्यधीन रहते हुए उसमें विनिर्दिष्ट कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा ।

43–(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के सम्पादन में, प्राधिकरण, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लिखित रूप में दिये जायें, बाध्य होगा :

परन्तु यह कि प्राधिकरण को इस उपधारा के अधीन निर्देश दिये जाने से पूर्व अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार का विनिश्चय चाहे कोई प्रश्न, नीति का हो या नहीं, अन्तिम होगा।

44–(1) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण, मण्डलायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट कृत्यों के सम्पादन के प्रयोजनार्थ तथा कारणों का लिखित में अभिलिखित करते हुए किसी भी व्यक्ति को आदेश द्वारा प्रभावित क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कार्य को करने अथवा न करने हेतु निर्देश कर सकते हैं, जहाँ कि आपातकालीन राहत उपाय किया जा रहा हो।

(2) कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेशों की प्राप्ति पर उनका पालन करेगा।

45–इस अधिनियम अथवा इसके द्वारा बनाये गये किसी भी नियम व विनियमन के प्रयोजनों के अनुसरण में प्रत्येंक सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त तथा प्राधिकरण के प्रत्येंक अधिकारी व कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक होंगे।

46–(1)इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम व विनियम या आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गए या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये प्राधिकरण या उसके प्रत्येक सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मण्डलायुक्त तथा प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी मुकदमा, अभियोजन व अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

47–(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादनार्थ स्वयं को समर्थ करने के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(2) विशेषतः तथा पूर्वगामी शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुमन्य सभी या किन्ही विषयों की व्यवस्था के लिये जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें, विनिमय बनाये जा सकते हैं।

48–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किये गये प्रत्येक आदेश शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखें जायेंगे।

49–प्राधिकरण, उसके अधिकारी और कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आरोपित कार्य का सम्पादन, राज्य सरकार या उसके किन्हीं अधिकारियों द्वारा तत्समय प्रदत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसरण में किए गये या राज्य की कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करके आपदा घटित होने से रोकने, आपदा के प्रभाव को कम करने, आपातकालिक राहत को

सुगम करने, समन्वय करने और अनुश्रवण और आपदा के पश्चात् राज्य में पुर्ननिर्माण और पुनर्वास या उसके सम्बन्ध में सम्पादित कृत्यों के अतिरिक्त करेंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं।

उद्देश्य और कारण

आपदा प्रबन्ध की एक समेकित और समन्वित प्रणाली, जिसके अन्तर्गत राज्य, स्थानीय प्राधिकरणों, स्टेकहोल्डरों और समुदाय द्वारा रोक थाम भी है, का विकास करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि आपदा प्रबन्ध और आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण, पुनर्वास, मूल्यांकन और निर्धारण के लिए केन्द्रीय योजना, समन्वय और अनुश्रवण इकाई के रूप में कार्य करने, आपातकालीन राहत से सम्बन्धित नीति निर्माण में राज्य सरकार की सहायता करने, आपदा प्रबन्ध में प्रगति और समस्याओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार और उसके विभागों को सूचित करने और सामान्य शिक्षा, क्षमता, निर्माण और आपदा प्रबन्ध, आपातकालीन योजना और प्रतिक्रिया के प्रति जागरूकता का विकास करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए एक विधि बनाई जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।